न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 761/दावा/2018
दायरा दि0 08/06/2018

उनवान

द्वारकालाल पुत्र भंवरिया जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. रामदयाल पुत्र भंवरिया जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
2. शिवराज पुत्र पन्नालाल जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
3. राजू पुत्र पन्नालाल जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
4. बच्छराज पुत्र धन्नालाल जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
5. सुगना पुत्री धन्नालाल जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
6. कांतिबाई पत्नि धन्नालाल जाति मेहर निवासी हरीगढ तह0 खानपुर
7. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा झालावाड बस स्टेण्ड के पास झालावाड
8. शाखा प्रबन्धक पजाब नेशनल बैंक शाखा हरीगढ तह0 खानपुर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री शिवनारायण नागर अधिवक्ता – वादी
श्री हितेश राठौर अधिवक्ता – प्रति0नं0 1 लगा0 6
श्री विनोद जैन, आफताबउद्दीन अधिवक्ता – प्रति0नं0 7

निर्णय

दिनांक 11/07/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी. एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हरीगढ की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 299 की ख0नं0 268 की 33.09 बीघा, ख0नं0 269 की 10.01 बीघा कुल 2 किता की 43.10 बीघा आराजी स्थित है। वादी के पिता भंवरिया के छ पुत्र भैरूलाल, रामकरण, धन्नालाल, पन्नालाल, रामदयाल व वादी द्वारकालाल है। वादी की मां नाथीबाई फौत हो चुकी है। पारिवारिक सजरा के अनुसार प्रत्येक भाई का इस आराजी में 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। वादी के पिता भंवरिया की मृत्यु आज से 40 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वादी के पिता का फौती इंतकाल नं0 225/24.11.1978 को दर्ज करते वादी का नाम इंतकाल में दर्ज नही किया, ऐसा अवैध व शून्य नामान्तकरण वादी के अधिकारों पर बेअसर है। वादी भंवरिया का पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित होने का अधिकारी है। वादी के मृतक भाई भैरूलाल के वारीसान मांगीलाल, बालकिशन व पप्पू द्वारा प्रति0नं0 1 रामदयाल के हक में अपने हिस्से का परित्याग कर दिया गया है। खातेदार रामकरण द्वारा भी प्रति0नं0 1 रामदयाल के हक में अपने हिस्से का परित्याग पर दिया है। खातेदार कजोडीबाई, रानीबाई, केसरबाई पुत्री पन्नालाल व प्रेमबाई पत्नि पन्नालाल द्वारा प्रति0नं0 2 व 3 के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्से का त्याग कर दिया है। ऐसे में इनको पक्षकार नही बनाया गया है। प्रतिवादीगण से आराजी में अपना नाम दर्ज करवाने की कहने एवं प्रतिवादीगण के द्वारा मना करने व लडाई झगडा करने से वाद हेतु दि0 15.05.18 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

डिक्री सादर फरमायी जावे कि ग्राम हरीगढ की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 299 की ख0नं0 268 की 33.09 बीघा, ख0नं0 269 की 10.01 बीघा कुल 2 किता की 43.10 बीघा आराजी में वादी को हिस्सा 1/6 पर खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे और राजस्व रेकार्ड में इसका अमल दरामद किया जावे। अन्य सहायता हो माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादी को दिलायी जावे।

वाद रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 नं0 1 लगा0 6 की ओर से श्री हितेष राठौर एडवोकेट ने एवं प्रति0नं0 7 की ओर से श्री आफताब उद्दीन एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया। वहीं प्रति0 न0 8, 9 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी नं0 7 ने जवाबदावा पेश किया कि आराजी बैंक में रहन दर्ज है, बैंक का अधिकार सुरक्षित रखते हुये जमाबंदी में रहन का अंकन यथावत रखा जावे। वहीं दि0 19.03.2019 को पक्षकारान ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इस प्रकार राजीनामा पेश किया है कि " वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 के बीच निम्न प्रकार राजीनामा पेश है :– यह कि ग्राम हरीगढ़ तह0 खानपुर की आराजी ख0नं0 268 रकबा 33.09 बीघा, ख0नं0 269 रकबा 10.01 बीघा कुल दो किता की 43 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है, जिसमें आपसी सहमति से वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच बंटवारे के संबंध में राजीनामा हो गया है, जो निम्न प्रकार है। प्रतिवादीगण रामदयाल पुत्र भंवरिया को उक्त आराजी में कुल रकबा 43.10 बीघा आराजी में से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण 4, 5, 6 को 1/6 व प्रतिवादीगण 2 व 3 को 1/6 व वादी द्वारकालाल को 1/6 हिस्से का आपसी सहमति से बंटवारा हो गया है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त राजीनामें को तस्दीक फरमाने की कृपा करें। " राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया, जिसे पक्षकारान द्वारा सही एवं सत्य होनाएवं राजीखुशी से आलेखित कराना स्वीकार करने पर तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी द्वारकालाल के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp6 प्रदर्श कराये। तत्पश्चात अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम हरीगढ की दो किता की 43 बीघा 10 बिस्वा आराजी भंवरिया के खाते की थी। भंवरिया के 6 संतान थी। ऐसे में प्रत्येक का इस आराजी मे 1/6–1/6 हिस्सा बनता है। वादी के पिता भंवरिया के 6 पुत्र भैरूलाल, रामकरण, धन्नालाल, पन्नालाल, रामदयाल व वादी द्वारकालाल है। भैरूलाल व रामकरण के वारीसान ने अपना हिस्सा प्रति0नं0 2 के हक में त्याग दिया है। हमारे बीच आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है, जिसमें पक्षकारान ने मुझे 1/6 हिस्सा देने की सहमति दी है। अतः राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में प्रकट किया कि हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामें के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता प्रति0नं0 7 ने अपनी बहस में प्रकट किया कि आराजी बैंक के रहन दर्ज है। ऐसे में बैंक के हितों का ध्यान रखते हुये वाद को निर्णित किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने भंवरिया की संतान होने से ग्राम हरीगढ़ की दो किता की 43 बीघा 10 बिस्वा आराजी में 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किये जाने का यह वाद पेश किया है। वादी के वाद को स्वीकार करते हुये दि0 19.03.2019 को पक्षकारान ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया है, जो तस्दीक होकर शामिल पत्रावली है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजों की नकलें भी पेश की है। ऐसे में न्यायहित में हम इस वाद को प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार निर्णित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अतः वाद, वादी राजीनामें के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम हरीगढ़ की जमाबंदी सं0 2070–73 की खतौनी सं0 299 की ख0नं0 268 की 33.09 बीघा, ख0नं0 269 की 10.01 बीघा कुल 2 किता की 43.10 बीघा आराजी में वादी को 1/6 हिस्से, प्रति0नं0 1 को 1/2 हिस्से, प्रति0नं0 2, 3 को 1/6 हिस्से एवं प्रति0नं0 4, 5, 6 को 1/6 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 11/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner